न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 60 / 2017

प्रार्थीया
श्रीमती कोकुबेन धर्मपत्नि स्व.रामारामजी
जाति घांची पेशा खेती आयु 45 साल
निवासी नून तहसील सिरोही जिला
सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1– बाबूलाल पुत्र श्री धरमाजी
2– नेनाराम पुत्र श्री धरमाजी
3– मगनलाल पुत्र श्री धरमाजी
आयु व्यस्क जाति सुथार
निवासीयान कालंद्री तह.सिरोही
4– सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही
5– कमला पुत्री धरमाजी पत्नि देवाराम
जाति सुथार नि.कालन्द्री हाल
वराडा तहसील सिरोही
6– लेहरी देवी पुत्री धरमाजी पत्नि
प्रतापरामजी जाति सुथार नि.कालंद्री
हाल जावाल तहसील सिरोही
7– गीतादेवी पुत्री धरमाजी पत्नि
हिदारामजी जाति सुथार
निवासी कालन्द्री हाल बारेवडा
तहसील शिवगंज जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री नारायणलाल कुम्हार वकील प्रार्थीया की ओर से
2– श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ वकील अप्रार्थीगण की ओर से

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955
के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 14–10–2019

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 तक के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 20–1–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्राथीया राजस्व ग्राम कालन्द्री पटवार क्षैत्र कालन्द्री 2 तहसील सिरोही जिला सिरोही मे प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी संवत 2070 –2073 के अनुसार खाता नंबर नया 84 पुराना 200 खसरा नंबर 2861 रकबा 1.7000 हेक्टैयर किस्म नहरी I आई हुई है । यह कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ता मय खसरा नंबर व खातेदार का सम्पूर्ण विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के उपरोक्त कृषि आराजी पर जाने हेतु प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से तीन के खातेदारी मे कदमी रास्ते का उपयोग व उपभोग कृषि आराजी पर वर्षो से करते आ रहे है। उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थीया कई वर्षो से करते आ रहे है। प्रार्थीया के उपरोक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 7 के खातेदारी के खसरा नंबर 2854 मे से होकर खातेदार काश्त के लिये कृषि साधन लाने ले जाने का उपयोग एवं उपभोग करते थे लेकिन प्रार्थीया के आराजी मे आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थीया को अपने खातेदारी की आराजी मे काश्त करने के लिये काफी हैरान व

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

परेशान होना पडता है। प्रार्थीया के आराजी मे आने जाने के लिये नजदीकी रास्ता खसरा नंबर 2854 मे से होकर कालन्द्री–मोहब्बतनगर के रास्ते मे जाकर मिला है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व अप्रार्थी संख्या 5 से 7 द्वारा अवरोध बाधित कर उक्त रास्ता बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकारों एवं सुखाधिकार का हनन हुआ है। प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थीया अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का उपयोग व उपभोग नही कर सकती है, इस कारण प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खातेदारी के आराजी मे से नियमानसार नया रास्ता प्राप्त करने का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तत कर रही है। प्रार्थीया जो नया रास्ता अपने खातेदारी आराजी मे आने जाने के लिये प्राप्त करना चाहती है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व 5 से 7 के खातेदारी आराजी के खसरा नंबर 2854 मे से प्राप्त करना चाहती है जो प्रस्तावित रास्ता प्रार्थनापत्र के साथ नक्शा मे लाल स्याही से मार्क किया गया है। प्रार्थीया गरीब विधवा महिला काश्तकार है अप्रार्थीगण खातेदार सम्पन्न व प्रभावशाली है जो प्रार्थीया की उक्त कृषि भमि को किसी भी प्रकार से हडपने पर तुले हुये है। अतः प्रार्थीया का श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या एक से तीन व 5 से 7 क खसरा नंबर 2854 मे से रास्ता दिलवावे व बाद जांच राजस्व रेकर्ड मे दर्ज तरमीम करवाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावें ।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 राजस्व ग्राम कालन्द्री तहसील सिरोही के खाता नंबर नया 84 पुराना 200 खसरा नंबर 2861 रकबा 1.7000 हेक्टेयर किस्म नहरी । अप्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खसरा नंबर 2854 रकबा 0.5200 हेक्टेयर किस्म नहरी । की प्रति, प्रार्थीया के खातेदारी आराजी का नये रास्ते खसरा नंबर 2854 मे से होकर प्रार्थीया के खातेदारी मे प्रदर्शित रास्ता जिसके नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, प्रार्थीया के खातेदारी का नकशा ट्रेस की प्रति लेमिनेशन नक्शा ट्रेस का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 20–1–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई दिनांक 10–2–2017 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतिया ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया व अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 21–11–2017 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थीया को दिलवाई गई ।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2861 रकबा 1.70 हेक्टेयर के अलावा भी आसपास मे आई हुई है परन्तु सम्पूर्ण खसरा की आराजी का वर्णन प्रार्थीया द्वारा नही किया गया है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी मेसे कदीमी से रास्ता होने का कथन गलत व मनगढंत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी की आराजी मेसे प्रार्थी की आराजी मे आने का कोई रास्ता कभी भी नही रहा है। प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी मे आने जाने का रास्ता उसके भाई चुन्नीलाल की आराजी मेसे रास्ता पुराना मोजूद है जिसमे से प्रार्थिया अपने खातेदारी की आराजी मे आती जाती है। अप्रार्थीगण की आराजी मे कोई रास्ता नही है जिससे प्रार्थीया रास्ते का उपयोग कदीमी से आने जाने

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

हेतु तथा कृषि साधन ले जाने हेतु करने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया की आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता अन्य खसरा नंबर की आराजी मे से है जो मोके पर मौजूद है। प्रार्थीया अब हतक उसी रास्ते से अपनी आराजी पर आ जा रही है। प्रार्थीया की आराजी मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी मे कोई रास्ता नही है तथा न ही कभी रहा है। प्रार्थीया स्वंय के कथनों मे विरोधाभास है,ं एक तरफ तो प्रार्थीया अप्रार्थीगण की आराजी मे रास्ता होने का कथन कर रही है तथा दुसरी तरफ कोई रास्ता नही होने का कथन कर रही है। प्रार्थीया की आराजी मे आने जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है प्रार्थीया ने कालन्द्री–मोहब्बतनगर सडक से सुगम रास्ता चाहने हेतु यह गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानुनन मेण्टेनेबल नही है। मौके पर प्रार्थीया की आराजी मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध होते हुये यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है तो रास्ता अवरोधित होने सुखाधिकारों का हनन होने का कथन गलत व मनगढंत होने से अस्वीकार हैं इस कारण प्रार्थीया अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मेसे नया रास्ता खसरा नंबर 2854 मेसे प्राप्त करने की अधिकारी भी नही है। प्रार्थीया गरीब विधवा महिला काश्तकार होने का कथन अस्वीकार है। प्रार्थीया एक सम्पन्न तथा धनी महिला है प्रार्थीया के पुत्रगण वादग्रस्त भूमि तथा उसके लगती अन्य भूमि पर खेती करते है। प्रार्थीया प्रभावशाली महिला है अप्रार्थीगण अवश्य ही मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिनके पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के विशेष कथन के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता उसके भाई चुन्नीलाल तथा अन्य के खातेदारी की भूमि मे से उपलब्ध है तथा पिछले कई वर्षो से उसी रास्ते से आवागमन होता आ रहा है मौके पर उक्त पुराने रास्ते से ही आवागमन चालु है प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ते की मांग गलत की है जो रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की भमि मे से रास्ता दिये जाने की दशा मे अप्रार्थीगण के पास मात्र 0.30 हैक्टेयर भमि काश्त योग्य भूमि है उसमे से भी कालन्द्री –मोहब्बतनगर पक्के रास्ते मे भूमि जाना तय है क्योंकि मौके पर सडक चौडी होनी है। कुल छः खातेदारों के मध्य उक्त आराजी पर काश्त करना असंभव हो जायेगा । प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता है, लेकिन अप्रार्थीगण को क्षति कारित करने के आशय से उक्त गलत मांग की है । प्रार्थीया एक धनी महिला है जिसके तथा उसके पुत्रों के खातेदारी की भूमि आस पास मे करीब 150 बीघा से अधिक भमि स्थित है, उक्त आराजी भी प्रार्थीया ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है तथा उसमे कुंआ खुदवाया है। यदि उक्त आराजी मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही था तो प्रार्थीया कभी भी उक्त आराजी को खरीद नही करती उक्त गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र बाबत प्राप्त करने नया रास्ता का खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज करवाना के आदेश प्रदान करावें ।

न्यायालय के गत आदेशिका दिनांक 17–11–2017 की पालना भू.अ.नि. कालन्द्री ने मौका निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 21–11–2017 की पेश की है जिसके अनुसार मौके पर खसरा नंबर 2854 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि बाबुलाल नेनाराम मगनलाल पि. ध्रमा वगैरहा जाति सुथार के नाम पर खातेदारी दर्ज उक्त खसरा नंबर 2854 के चारो तरफ तारबंदी की हुई पाई गई व मौके पर खेती की खेड द्वारा जुताई की गई है। खसरा नंबर 2854 के पश्चिम दिशा मे खसरा नंबर 2865 व 2863 मे रास्ता चल रहा है जो राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है। यदी प्रार्थीया के खसरा नंबर 2861 मे जाने हेतु खसरा नंबर 2865 व 2863 मे होकर रास्ता कायम हो सकता है। मगर वादीया द्वारा खसरा नंबर 2854 मे होकर ही रास्ते की मांग कर रहा है जो संलग्न नक्शे मे दर्शाया गया है। दूरभाष पर खसरा नंबर 2854 के खातेदारों से मौके पर उपस्थित होने हेतु

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

सर्म्पक किया गया मगर खसरा नंबर 2854 के खातेदार मौके पर उपस्थित नही हुये एवं रास्ता देने हेतु अपनी सहमति देने से इन्कार किया । खसरा नंबर 2861 के खातेदार वादीया श्रीमति कोकुबेन को सूचना देने पर मोके पर उपस्थित हुई जिसे मौके पर चल रहे रास्ते का अवलोकन कराया गया मगर उनके द्वारा बताया गया की खसरानंबर 2854 बाबुलाल वगैरहा सुथार की खातेदारी भूमि से ही रास्ता लेना चाहती है।

दिनांक 2–2–2018 को न्यायालय मे दौराने पक्षकारान के सुनवाई प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का न्यायहित मे स्वीकार कर प्रार्थीया पातुबाई के वारिसान को अप्रार्थीगण संख्या 5 कमला पुत्री धरमाजी सुथार पत्नि श्री देवाराम जाति सुथार निवासी कालन्द्री हाल वराडा अप्रार्थी संख्या 6 लेहरी देवी पुत्री धरमाजी सुथार पत्नि प्रतापराम जाति सुथार निवासी कालन्द्री हाल जावाल तथा अप्रार्थी संख्या 7–गीतादेवी पुत्री ध्रमाजी सुथार हाल बारेवडा तहसील शिवगंज को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया जाने का आदेश दिया गया। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि मूल प्रार्थनापत्र मे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के आगे अप्रार्थी संख्या 5 से 7 आगे जोडना तथा अनुतोष के लाईन दूसरी मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के आगे व अप्रार्थी संख्या 5 से 7 के आगे जोडना हेतु उक्तानुसार मूल वाद मे संशोधन के लिये वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्तानुसार संशोधित प्रार्थनापत्र अर्न्तगतधारा 251(क) आरटीएक्त को रेकर्ड पर लेने का आदेश दिया गया ।

अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक राजस्व/2018/108 दिनांक 22–5–2018 के जरिये जांच रिर्पोट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम मौजा कालन्द्री के खसरा नंबर 2861 रकबा 1.70 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीया द्वारा बताया गया कि पडौस के खातेदार बाबूलाल/नेनाराम/मगनलाल पि.धरमाजी सुथार निवासी कालन्द्री के खसरानंबर 2854 मे ओकर आवागमन करते थे मौका देखने पर खसरा नंबर 2854 मे चारो तरफ तारबंदी की हुई एवं कदमी रास्ता मौके पर नही पाया गया । खसरा नंबर 2865 के पास व 2864 के बीच मे होकर कदमी रास्ता चल रहा है जो 2863 मे जा रहा है जो रेकर्ड मे दर्ज नही है जो लाल पेन से दर्शाया गया है। खसरा नंबर 2863 के पास लगती हुई 2861 प्रार्थी की खातेदारी है जिस पर प्रार्थीया द्वारा तारबंदी करा रखी है।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायलय मे सुनवाई पेशी दिनांक 24–8–2018 को अप्रार्थी संख्या 6व 7 की ओर से वकील नगेन्द्र मेडतियौ ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया तथा अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा रजिर्स्टड नोटिस लेने से इन्कार करने से न्याायालय द्वारा अप्राथी संख्या 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । तथा न्यायालय द्वारा वाछित मौका रिर्पोट प्राप्त होने पर किस खसरा नंबर मे से नजदीक रास्ता दियाा जाना उचित है तथा किस खसरा नंबर मे से कदीमी रास्ते को किसने और क्यों बंद किया है वर्तमान स्थिति की मौका निरीक्षण रिर्पोट भू.अ.नि. कालन्द्री व पटवारी हल्का कालन्द्री से मंगवाई जाने के आदेश दिये गये वाछित संयुक्त मौका जांच रिर्पोट इस न्यायालय मे दिनांक 9–10–2018 को प्राप्त होने से शा.मि. की गई। वकील अप्रार्थी ने उक्त मौका रिर्पोट को रेकर्ड से हटाने का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे शा.मि. किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण को सुना गया । बाद सुनवई पक्षकारान के न्यायहित मे उक्त संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26–10–2018 को रेकर्ड पर लिया गया । विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–12–2018 को वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का जो जवाब पूर्व मे पेश किया है उसी अनुसार अप्रार्थी संख्या 6 से 7 का जवाब भी समझा जावें । अप्रार्थी संख्या 4 को नोटिस तामिली होने के बावजूद निरन्तर हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 4

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । दौराने सुनवाई वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत मौका रिर्पोट रेकर्ड पर से हटवाने पर वकील उभय पक्षकारान के तर्को को सुनकर उस पर मनन किया । वकील अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र मौका रिर्पोट रेकर्ड से हटाने का खारिज करते हुये पत्रावली पर उपलबध मोका रिपोर्ट दिनांक 21–11–2017 पुरानी होने तथा मोके एवं रेकर्ड की वर्तमान स्थिति को रेकर्ड पर लेना न्यायालय उचित समझने से न्यायालय द्वारा वाछित मौका निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 26–10–2018 को रेकर्ड पर लिया गया । उक्त मौका निरीक्षण रिर्पोट के विरूद्व वकील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी करने के फलस्वरूप माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विचाराधीन प्रकरण की मूल पत्रावली तलब करने से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को मूल पत्रावली भेजी गई । पुनः इस न्यायालय की उक्त मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 2–8–2019 के संलग्न प्राप्त हुई । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त निगरानी मे आदेश दिये गये कि मौका रिपोर्ट दिनांक 26–10–2018 को रेकर्ड से हटाये जाने का आदेश देते हुये इस प्रकरण का यथासंभव विधिवत रूप से दो माह मे निस्तारित करने के आदेश दिये गये जिसकी पालना मे विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण की विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर इस न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2018 को रेकर्ड से हटाया जाकर अंतिम बहस दिनांक 30–9–2019 को रखी गई जिस पर वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे यह प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब दिनांक 8–3–2017 मे प्रार्थीया की कृषि भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता रेकर्ड मे उपलब्ध नही होना बताया है भू.अ. नि. ने भी अपनी रिपोर्ट मे रेकर्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने व नक्शा मे भी प्रार्थीया की कृषि भूमि तक कोई रास्ता नही होना बताया है। प्रार्थीया ने नया रास्ता हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। मौका फर्द व पटवारी रिपोर्ट से भी पूर्णतया साबित है कि प्रार्थीया के कृषि भूमि मे आने जाने का कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। मौका रिर्पोट दिनों 21–11–2017 के दौरान प्रार्थीया के उपस्थित होने की अंगुष्ठ निशानी या हस्ताक्षर व गवाहान के हस्ताक्षर भी नही है। जो कि उक्त मौका रिर्पोट एक तरफा बनना जाहिर होता है। प्रार्थीया के आराजी मे आने जाने के लिये नजदीक रास्ता खसरा नंबर 2854 मे से होकर आगे कालन्द्री –मोहब्बतनगर के रास्ते मे जाकर मिला है, लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने अवरोध बाधित कर उक्त रास्ता बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकारों एवं सुखाधिकार का हनन हुआ है। अतः खसरा नंबर 2854 मे से नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावें !

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जब मौके पर पूर्व से ही रास्ता है तो मेरी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मेसे ही प्रार्थीया क्यों रास्ता चाहती है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर सुविधाजनक रास्ते की आड मे नया रास्ता नही बनाया जा सकता है। खसरा नंबर 2865, 2863 मे पूर्व में रास्ता कायम है जो दर्ज हो सकता है। इस प्रकार प्रार्थीया जबरदस्ती अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे से रास्ता चाहने पर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खत्म होकर खेत खत्म हो जावेगा इस कारण प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का मेण्टेनेबल नही होने से खारिज कराना फरमावें ।

विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थीया तथा वकील अप्रार्थीगण व अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

करने से अंतिम बहस गंभीरता से सुनकर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड प्रतियों का भी गहनता से अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि प्रार्थीया के खातेदारी भूमि मे जाने के लिये रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर तहसीलदार सिरोही के प्रस्तावानुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2854 मे से नया रास्ता दिया जाना उचित है। विवेचनाधीन सम्पूर्ण प्रकरण की पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन करने व उभय पक्षकारान की बहस के उपरान्त प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया है। यदि अन्य रास्ता उपलब्ध भी है तो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार न तो रिकार्ड में दर्ज है और न ही लघुत्तम मार्ग है जो कि मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीया को खातेदारी आराजी मे आने जाने के लिये मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। विचाराधीन प्रकरण मे वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे 2017(1) आर.आर.टी. पेज 423 गिरदावरी बनाम सुल्तान वगैरहा, 2016–17 (आर.आर.टी. पेज 677 प्रतिमसिंह बनाम मेनपाल वगैरहा तथा 2016(1) आर.आर.टी. पेज 649 बाघसिंह बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यु न्यायिक दृष्टिकोण से लागु नही होने से मै सहमत नही हूॅ ।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 के संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित अनुसार प्रार्थिया को अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 2854 रकबा 0.5200 हेक्टेयर में से 12 फीट चौडाई का रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिरोही रास्ते की लम्बाई की गणना करवाकर तत्पश्चात अवधारित क्षेत्रफल अनुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थीया से जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन व अमलदरामद सुनिश्चित कर पालना से अवगत करावे। रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 14–10–2019 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 14–10–2019 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.06 16:17:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: